छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, अटल नगर रायपुर

क्रमांक/बीओसी/2019/ 84 अटल नगर रायपुर दिनांक 06/04/2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव
लोक निर्माण विभाग/वन विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/वित्त विभाग/ ऊर्जा विभाग/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/गृह विभाग/स्वास्थ्य विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/कृषि विभाग/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग/सहकारिता/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/संस्कृति विभाग/पर्यटन विभाग/लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग/खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक 796 वि.स./आ.एवं./2019 दिनांक 10/04/2019

विषय :- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत उपकर राशि जमा किये जाने के संबंध में।

****

विषयांतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक सन्निर्माण कार्य की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर राशि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में जमा किये जाने का प्रावधान है। धारा 3(1) निम्नवत् है :-

" भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के प्रयोजनों के लिए उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण किसी नियोजक द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत के दो प्रतिशत से अनधिक किन्तु एक प्रतिशत से अन्यून ऐसी दर से किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट करें। "

अधिनियम के उक्त प्रावधान के परिपालन में केन्द्र शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 2899 दिनांक 26.09.1996 में उक्त राशि सन्निर्माण लागत की एक प्रतिशत निर्धारित की गई है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा 3 के अधीन संदेय उपकर के निर्धारण उपरांत निर्दिष्ट समयावधि में संदेय नहीं किये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का विनियमन) नियम 2008 के नियम 8 के अंतर्गत दो प्रतिशत मासिक की दर से ब्याज संदाय किये जाने का प्रावधान है।

अधिनियम के उक्त प्रावधानों का समुचित परिपालन सुनिश्चित किये जाने तथा प्रक्रिया में सरलता एवं सुविधा की दृष्टि से माह नवंबर 2014 से श्रम विभाग के वेबसाईट www.cglabour.nic.in में Online Payment Gateway /NEFT/E-banking के माध्यम से उपकर का संग्रहण किया जा रहा है। उक्त प्रक्रिया से उपकर की राशि जमा किए जाने हेतु श्रम विभागीय वेबसाईट www.cglabour.nic.in के लिंक में जाकर " **छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण** " के Option को क्लिक कर सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन User Id एवं Password जनरेट कर लॉगिन करना होता है। तदुपरान्त निर्माण कार्य से संबंधित आवश्यक प्रविष्टियाँ यथा- नियोजक का नाम, पता, ठेकेदार का नाम, पता, निर्माण कार्य का विवरण, कार्य का नाम, वर्क आर्डर क्रमांक, कार्य स्थल, निर्माण लागत राशि, देय उपकर की राशि, संबंधी आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के पश्चात् क्रेडिट/डेबिट कार्ड से निर्धारित उपकर का ऑनलाईन भुगतान किया जा सकता है, अथवा Online चालान फार्म के ऑप्शन में जाकर ई-चालान जनरेट कर चालान का प्रिन्ट निकाल कर उपकर राशि का चैक चालान के साथ संलग्न किया जाकर RTGS/NEFT के माध्यम से भी बैंक में राशि जमा की जा सकती है। उक्त चालान 07 दिवस के लिए वैध होता है तथा बैंक से उसकी पावती भी प्राप्त की जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि आपके विभाग के अधीन सीधे अथवा ठेकेदारों के माध्यम से करवाए जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अनुरूप उपकर राशि विभागीय वेबसाईट www.cglabour.nic.in के माध्यम से Online Payment Gateway अथवा ई-चालान के माध्यम से मण्डल के खाते में जमा करवाए जाने हेतु आपके समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(सुबोध कुमार सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
अटल नगर रायपुर दिनांक 06/4/19

क्रमांक/ब्रीओसी/2019/85-89

प्रतिलिपि :-

(1) समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(2) श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय द्वितीय तल इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(3) समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
(4) समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़
(5) सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुबोध कुमार सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग